Order Sheet [Contd] Case No 150, 151/2017 बी.ए

	Case No 150,	151 / 2017 લા.પ
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
24-04-17	राज्य की और से श्री दीवानिसंह गुर्जर अपर लोक अमियोजक। आवेदक/आरोपी दाताराम एवं गब्बर की ओर से श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता। आपत्तिकर्ता विजय सिंहत श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जमानत पर लिखित आपत्ति पेश की। अवेदक/आरोपीगण की ओर से आपत्ति का जबाव पेश किया। आवेदक/आरोपी वाताराम एवं गब्बरिसंह की ओर से प्रथक प्रथक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फौ० के प्रस्तुत किये गए है। जो कि थाना गोहद के अप०क० 62/17 से संबंधित है। अतः उक्त दोनों आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्रों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अरक्षी केन्द्र गोहद जिला मिण्ड की ओर से अप०क० 62/17 धारा 363, 336ए, 376, 354, 34 भा.द.वि एवं धारा 3/4 पॉस्को एक्ट की केश डायरी प्रतिवेदन सिंहत प्रस्तुत। आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता द्व रा प्रस्तुत प्रथक अयेवदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फौ० पेश कर निवेदन किया कि पुलिस थाना गोहद के द्वारा विरोधियों की गलत सूचना के आधार पर आवेदक को निरोध में ले लिया है, जबिक उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। वह शांतिप्रिय जीवन यापन क्रूरने वाले व्यक्ति है और आवेदकगण आरोपी कृष्णा से प्रथक निवास करते हैं। प्रकरण में सहआरोपी नाथूराम की जमानत दिनांक 19.04.17 को इसी न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। आवेदकगण न्यायिक निरोध में है। यदि अधिक समय तक निरोध में रहे तो उनके परिवार के समक्ष भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो जावेगी। आवेदकगण जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः उचित जमानत मुचलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया। आवेदकगण/अभियुक्तगण अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण को प्रकरण में झूठा फंसाया है और वर्तमान में यह प्रवृत्ति बढ गई है कि अवयस्क बच्ची किसी के साथ चली जाती	A THE STATE OF THE
	है तो परिवार के अन्य वयस्क सदस्यों को प्रकरण में झूठा आलिप्त कर दिया	

जाता है। जबिक प्रकरण में ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है।

केश डायरी के अवलोकन से दर्शित होता है कि अपहृता को दिनांक 03.04.2017 को बरामद किया गया है तथा अपहृता मनीषा के धारा 161 सी. आर.पी.सी के कथन प्रारंभ में लिए गए है। तत्पश्चात् धारा 164 सी.आर.पी.सी के कथन लेखबद्ध किए गए है। दोनों ही कथनो में घटना का अनुक्रम प्रथक प्रथक है। सत्यता क्या है यह गुणदोष का विषय है। आवेदकगण / अभियुक्तगण न्यायिक निरोध में है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अभियुक्तगण का मामला जमानत पर छोडे गए सहआरोपी नाथूराम से भिन्न नहीं है। अतः प्रकरण की परिस्थितियों एवं उपलब्ध सामाग्री को देखते हुए आवेदक / अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फी० स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

प्रकरण में आज न्यायालय में अभियोक्त्री एवं उसका पिता विजय उपस्थित हुए है और उन्होंने व्यक्त किया कि दो दिन पूर्व आरोपी नाथूराम उनके घर पर धमकी देने आया था कि राजीनामा कर लो अन्यथा अंजाम बुरा होगा, उसके साथ तीन अन्य लोग भी थे। इस संबंध में फरियादी द्वारा एक आवेदनपत्र पुलिस थाना गोहद में दिया गया है। सत्यता क्या है इस संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, किन्तु आवेदक / अभियुक्तगण को यह जमानत इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यदि भविष्य में उनके द्वारा फरियादी पक्ष को किसी प्रकार से डराया धमकाया गया तो उनकी जमानत निरस्त करने पर विचार किया जावेगा।

परिणामः आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि वह न्यायालय की संतुष्टि योग्य 20000/— रूपए की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि के स्वयं के बंधपत्र पेश करे तो उन्हें निम्न शर्तों के अधीन प्रतिभूति पर मुक्त किया जावे।

शर्त—

- प्रत्येक तिथि दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगे।
- 2. साक्ष्य को प्रभावित प्रलोभित नहीं करेगे 📂
- उसे अपराध किया है उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने का बापस की जावे। प्रकरण पूर्ववत अभियोगपत्र प्रस्तुत हेतु दिनांक 28.04.2017 को पेश

हो।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला– भिण्ड म०प्र०